न्यायालय – सिविल जज जू0 डि0 छाता मथुरा ।
मूलवाद संख्या – 217 सन 2010
ताराचन्द बनाम ओमप्रकाश

09.08.2017

पत्रावली पेश हुई । पक्षकार जरिये अधिवक्ता उपस्थित ।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 46क अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं 151 सी0पी0सी0 इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद में वादी द्वारा दिनांक 17.03.2016 को 42क प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या–1 के वारिस कायम किय जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु टाईप की गलती से प्रतिवादी संख्या–1 के वारिस हरीशचन्द का नाम लिखने से रह गया है तथा कुछ त्रुटियां रह गयी है जिससे भविष्य में पेचेदगियां उत्पन्न हो सकती है । अतः प्रार्थना पत्र 42क में संशोधन किये जाने का याचना किया गया है ।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पर 46क पर आपत्ति कागज संख्या 48ग दाखिल कर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 46क के माध्यम से प्रार्थना पत्र 42क में संशोंधन किये जाने का निवेदन किया गया है । संशोधन किये जाने का कारण टाईप की गलती से प्रतिवादी संख्या–1 के वारिस हरीशचन्द का नाम लिखने से रह जाने का कथन किया गया है । वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 42क में जो संशोधन चाहा गया है वह एक मानवीय भूल प्रतीत होता है । प्रार्थना पत्र शपथ पत्र 47ग द्वारा समर्थित किया गया है । प्रतिवादी की ओर से जो आपत्ति की गयी है, वह औपचारिक प्रकृति की है । अतः वाद के अन्तिम रूप से गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 46क न्याय हित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थना पत्र 46क न्याय हित में मुवलिग 200/रूपये हर्जे परस्वीकार किया जाता है । वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करें । पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 42क दिनांक 15.09.2017 को पेश हो ।

सिविल जज जू0 डि0,
छाता